ई–मेल– fdpilibhittr@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत

पत्रांक 114-1, पीलीभीत, दिनांक– 31/01/2023

(बनकटी रोड, पीलीभीत– 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– कार्योपरान्त स्वीकृत **(Ex-post Facto)** हेतु जनपद पीलीभीत क अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग संख्या–62 पी0ए0 के चैनेज 5.924 से 5.958 दॉयी पटरी पर ग्राम–ईटगांव तहसील–बीसलपुर जिला–पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या–521 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनभूमि 0.114123 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– भारत सरकार का पत्रांक–8वी/यू0पी0/06/267/2022/एफ0सी0/725 दिनांक– 30.11.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक–1891/11–सी **FP/UP/Others/30687/2017 Date 05.12.2022** तथा प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 2345/15–1 दिनांक– 24.01.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक– 30.11.2022 के द्वारा विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत द्वारा अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है।

अतः निराकरण के उपरान्त अनुपालन आख्या/अभिलेख आपके कार्यालय के पत्रांक 2501/11–सी दिनांक– 24.11.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार अनुपालन आख्या/अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

Sl. no.	Observations	Compliance
1	Reviscd kml. File of area proposed for CA needs to be uploaded on Parivesh Portal.	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाइल परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है तथा के0एम0एल0 फाइल की 03 प्रतियॉं (पेनड्राइव मे) संलग्न कर प्रेषित है।
2	No clarification or correction has made in part-ii of the proposal since the proposal is for Ex-post facto approval therefore details of violation should be mentioned therein.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लघंन का विवरण भाग–2 में अंकित कर दिया गया है।
3	If the permission for use of Forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under Section 3A and/or 3B of FCA Act, as may be applicable. The State Govt. should inform,about the action taken under IFA 1927.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु कोई अनुमति नही दी गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये/उल्लघंन किये जाने पर रेंज केस संख्या–20/2017–18/बीसलपुर दिनांक–18.03.2018 द्वारा जारी किया गया तथा ई–3 संख्या–13/3502 दिनांक– 24.01.2019 द्वारा रू0–20000.00 प्रति कर के रूप में जमा कर दिनांक–25.01.2019 को केस प्रशमित किया गया तथा प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख/अन्य अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

पत्रांक 1399 /अ–दिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 प्रतियों मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

F:\Ankit (P.T.R.)\FD Office\Survour\Ccf letters (Petrol Pump).docx